न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 219/2024

अनवान : –

1. सपना पुत्री सुभाष चन्द्र जाति जाट निवासी चाईया तहसील रावतसर।

– सायल

बनाम्

1. गायत्री पत्नी महेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।
2. सरस्वती पत्नी सुरेश कुमार जाति जाट निवासी भूरकाक तहसील नोहर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।
4. उप पंजीयक कार्यालय उप तहसील खुंईया तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री महेशचन्द्र शर्मा अधिवक्ता **सायल**
2. श्री हवासिंह पुनिया अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय दिनांकः 16/01/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता स0 332/341 की कुल 3.7950 हैक्ट भूमि सायल व गैरसायलान के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

सायल व गैरसायल स0 4 ता 7 के दक्षिणी पासा की भूमि के पास गैरसायल स0 1 गायत्री का ख0न0 1038/798 की 1.3650 हैक्ट भूमि तथा गैरसायल स0 2 सरस्वती की 1037/798 की 2.2770 हैक्ट भूमि सायल के पश्चिमी पासा की चिपती हुई है। गैरसायलान के पास अपनी अपनी भूमि का कब्जा नही है तथा न ही तहसीलदार के मार्फत अपनी खातेदारी की निशानात ले रही है। किन्तु सायल पड़ौसी खातेदार होने के कारण प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के आदमी सयला व गैरसायलान स0 4 ता 7 के कब्जा काश्त में दखल दे रहे है तथा रोजाना सीव बाबत विवाद रहता है चुकी सायला अपनी खातेदारी भीू पर निरन्तर काबिज है किन्तु गैरसायलान उसके पड़ौसी है तथा सायल की फसल को उजाड़कर सायल की भूमि पर काबिज होना चाहती है। अगर गैरसायल अपने मकसद मे कामयाब हो जाते है तो सायल को अपूर्णीय क्षति होगी। इसलिए गैरसायल स0 1 ता 2 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के ख0न0 78/1 की 1.5180 व ख0न0 799/1 की 2.2770 हैक्ट भूमि के मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। मौजा भूकरका तहसील नोहर के ख0न0 78/1 की 1.5180 व ख0न0 799/1 की 2.2770 हैक्ट भूमि मे अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त भूमि में मदाखलत बैजा न करे।

अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की सायल गैरसायल संख्या 1 ता 2 व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण एक दुसर के [illegible] सी है गैरसायल द्वारा सायल के कब्जा की भूमि में किसी प्रकार की कोई [illegible] सायल द्वारा गैरसायला स0 1 व 2 की सींव के साथ छेड़छाड़ [illegible] वंय झगड़ालु किस्म [illegible] एवं गैरसायल स0 1 ता 2 की भूमि पर कब्जा करना चाहते है। [illegible] वाद भूमि पूर्व में ए[illegible] व प्रार्थना पत्र पेश किया गया था जो की दिनांक 29.02.2024 को खारिज हो गया उसके बाद पुनः नया वाद व

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.23 14:38:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रार्थना पत्र पेश्ज्ञ किया गया है जो की न चलने योग्य है अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि सायल व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 7 को पाबन्द किा जावे की रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के ख0न0 1038/798 की 1.3650 हैक्ट व ख0न0 1037/798 की 2.2770 हैक्ट भूमि जो की गैरसायल स0 1 व 2 की है में प्रवेश न करे।

बहस उभयपक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हको का निर्धारण मूल दावें के निर्णय में तय होना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार सायल व गैरसायलान एक दुसरे के चिपते पड़ौसी खातेदार काश्तकार है। उभयपक्षों का दोनो का ही कथन है कि गैरसायलान, सायल की भूमि में व सायल, गेरसायलान की भूमि की सीव डोल तोडने का कथन कर रहे है लेकिन किसी भी पक्षकार के द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पेश नही किया गया जिससे सींव डोल तोड़ना साबित हो। गैरसायलान का कथन है कि उक्त स्थगन भूमि की पैमाईश रूकवाने के लिए पेश किया गया है। कोई भी पक्षकार अपनी भूमि की पैमाईश करवाने के लिए स्वतंत्र है भूमि की पैमाईश करवाने से अपने हक हिस्सा की भूमि की सींव डोल का ज्ञान हो जाता है जिससे यह नही कहा जा सकता की वह एक दुसरे की भूमि में प्रवेश कर रहा है या करना चाहता है भूमि की पैमाईश नही होने के कारण सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति गैरसायलान को होनी पाई जाती है। उक्त वाद भूमि बाबत न्यायालय में पूर्व में एक वाद व प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने के कारण दिनांक 02.09.2024 को जारी की गई अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज की जाती है एवं तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वाद भूमि की पैमाईश व मौका नक्शा तैयार कर न्यायालय में भिजवाया जाना सुनिश्चित करे। पत्रावली इस कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 16/01/2025 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.23 14:38:26 IST
Reason: SelfAttested